

# उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192202602870

ग्राम क्रमांक : 115192 ग्राम का नाम (परगना) : ग्रामपुर (मुरादाबाद) तहसील : मुरादाबाद जनपद : मुरादाबाद फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00046

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण			भूमि का विवरण		खातेदार का अंश	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
खसरा/गाटा संख्या	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	वर्ष	गाटा (पूनीक कोड)	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	हिस्से में	क्षेत्रफल में (हे.)	खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
662मि 2) प्राधिकरण मुरादाबाद	1) उपाययक्ष: मुरादाबाद विकास		1417क	662मि(1151920662200112)	0.1820	1) 1/2 2) 1/2	1) 0.0910 2) 0.0910	232.25
कुल गाटे 1	कुल क्षेत्रफल- 0.1820 (हेक्टर)	कुल भू-राजस्व - 232.25 रुपये	कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.1820(हेक्टर)					

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / पूनीक कोड	क्षेत्रफल (हे.)	नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / पूनीक कोड	क्षेत्रफल (हे.)
(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :						
(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति						
(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :						
(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :						
(19) अभ्युक्ति :						

का विवरण

- 1) 620फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.3.5.2013के अनुपालन में द्वारा फार्म प.क. 23 के अत्रगत खतोनी वर्ष 1420 से 1425फे खाता स् 142के गाटा स् 1.620मि 0.833पर श्रुति वश खातेदार कमरूददीन का नाम दर्ज करने से छूट गया है की श्रुति की श्रुति करते हुये पूर्व खतोनी 1414फ से 1419फ के
- 2) खाता स् 1.136के आधार पर गाटा स् 1.620मि 0.833से कमरूददीन पुत्र हमीद उर्फ छोटे नि0हरथला का नाम वतार सहखातेदार के रूप में दर्ज हो हो0आर0 के 029.5.13
- 3) 1421फ0आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 19.8.13के अनुपालन में द्वारा फार्म प.क.23.के अन्तर्गत खतोनी वर्ष 1420फ0 से 1425फ0के खाता सं.42के गाटा सं.636अ 0.352 हे0व खसरा नं.636व 0.506हे0पर श्रुति वश मु0 अफसरी वेवा छिददा नि0मिलक भोला सिंह का नाम
- 4) छूट गया है की श्रुति की श्रुति करते हुए पूर्व खतोनी 1414फ0से 1419फ0के आधार पर गाटा सं.636अ/0.352हे0व खसरा नं.636व/0.506हे0पर उपाध्यक्ष नगर विकास प्राधिकरण के साथ मु0अफसरी वेवा छिददा नि0मिलक भोला सिंह का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज हो 1 हे0आर0के 0दि20.8.13
- 5) 1421फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद वाद स् 1.462/14.2.14को आदेश हुआ कि खाता स् 1.42के गाटा स् 1.636अ/0.352.गाटा स् 1.636व 0.506कुल 2कि ता 0.858हे लगान वमुजिव खतोनी के वकदर भाग से व खाता स् 1.40के गाटा स् 1.837/0.640हे लगान वमुजिव खतोनी के वकदर भाग
- 6) से मुलक श्रीमती अफसरी पत्नी स्व0छिददा नि0 मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज करके उनके स्थान पर मदरसा इस्लामी मडईयो वाली मस्जिद बाके ग्राम मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर देहात मुतवल्ली गफकार हुसैन पुत्र फहमूद हुसैन नि0मिलक
- 7) भोला सिंह उर्फ सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 13.8.2008के आधार पर संक्र मणीय भूमिधर के रूप में दर्ज हो हो0आर0के 026.02.14
- 8) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद. वाद सं.टी 20151354013037/15.7.15 को आदेश हुआ कि खाता सं.42 खसरा नं.636अ/0.352हे0व 636व 0.506हे0 कु ल 2कि ता कु ल रकबा 0.858हे0 के वकदर भाग से विक्रेता गफकार हुसैन पुत्र फरमूद हुसैन निवासी मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर तहसील
- 9) व जिला मुरादाबाद भिनजानिब मुतवल्ली मदरसा इस्लामी मडईयो वाली मस्जिद ग्राम मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर देहात मुरादाबाद का नाम निरस्त कर उनके स्थान पर क्रेता श्रुजाउल इस्लाम पुत्र जमीरउददीन निवासी मौहल्ला मियां सराय तसपुर तहसील व जिला सम्मल का नाम बजरियो पंजीकृत व बैनामा दिनांक 26.5.15
- 10) के आधार पर दर्ज हो हो0आर.के...15.7.15

Data Digitally Signed by: RAVI SINGH RAVAT RACISTRAR (KANOONGO)


दिनांक समय स्थान: 12-02-2026 03:17:34 तहसील: मुरादाबाद

यह उदरग खतोनी इलेक्ट्रॉनिक हिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता: TUSHAR BHATTNAGAR तहसील: मुरादाबाद

मुद्रित दिनांक एवं समय: 12-02-2026 03:17:34

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उदरग खतोनी का वैधिकेयन  
https://qphindia.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।





### पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) 1410फ आदेशानुसार सक्षमप्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक सं. 150/न.भू.सी.2003दि. 1.6.03 के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र सं.93दि.19.5.03के अन्तर्गत इस कार्यालय की पत्र सं.93दि-19.5.2003 के द्वारा वाद सं.315/1201सरकार बनाम पूरन मे अतिरिक्त घोषित भूमि गाटा सं.263/2043.20वर्ग
- 2) मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर संबंधित भू धारक पूरन अथवा उसके वैध वारिसानो का नाम उक्त भूमि पर दर्ज हो ह.ले.8.7.03
- 3) 1410फ आदेशानुसार रा0 नि0 पाकवडा द्वारा प.क.11 क.दि.21-7-03 को आदेश हुआ कि खाता सं. 370 से मूलक पूरन के स्थान पर नन्हे पुत्र पूरन नि ग्राम के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह.ले.21-7-03
- 4) 1410फ आदेशानुसार विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक सं.1183/आठ वि.भू.अ.अ/मुरादाबाद दि.16.3.2002के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर मे गाटा सं. 263पर अमलदरामद मे हुई श्रुति का परीक्षण करारक संशोधन कि या गया के अनुसार गाटा सं.263मि /1.25 एकड़ के स्थान पर 0.94एकड़ भूमि मुरादाबाद विकास
- 5) प्राधिकरण के नाम तथा इसी न.से 1.02 एकड़ भूमि नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के आदेशानुसार राजस्व अभिलेखी मे दर्ज हो ह.ले. 25-10-02
- 6) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.647/31-12-02 को आदेश हुआ कि खाता सं. 240,295,370, के गाटा सं0 263मि /2.27एकड़ मे से 0.32 एकड़ लगान 45.00 रु के बकदर भग से रामराज सिंह विशोई पुत्र रामसरन विशोई नि.वी.एस-4। दीनदयालनगर एम.डी.कालोनी मुरादाबाद वहीस्थित मुख्यधारेआम
- 7) श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास नि.झांझनपुर के नाम खारिज होकर श्रीमती मनीषा विशोई पत्नी रामराज सिंह विशोई वि.एस.41 दीनदयाल नगर एम.डी.ए.शहर मुरादाबाद व गजरामसिंह पुत्र रामसरनसिंह नि.विकास नगर लार्डनपर शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह ले
- 8) ह.ले.31-1-03
- 9) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.491/ 22.12.02आदेश हुआ कि खाता सं.240,295,370के गाटा सं.263/0.26एकड़ व गाटा सं.336मि /0.24-1/2 एकड़ लगान क्र मशः 2.60व 2.45के पूर्ण भग से रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास व हरप्रसाद व मोहन सिंह व राजकु मार पुत्रगण नरायनदास
- 10) नि.झांझनपुर के नाम खारिज होकर अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.मौ.कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह.ले. 31.1.03
- 11) 1411फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.511/353/03धारा 34एल.आर.एक्ट आदेश दि. 23.1.2004के अन्तर्गत भानुप्रकाश बनाम मु पुनिया मे गाटा सं.263मि रकबई 0.63.मि =2043.20वर्ग मीटर स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद का राज्य सरकार का नाम खारिज करके भानुप्रकाश पुत्र
- 12) स्व0ओमप्रकाश नि.ग्राम दलपतपुर तह0व जिला मुरादाबाद का नाम वजरिये अपधीकृत व वसियतनामा दि.27.10.95के आधार पर दर्ज हो। प.क.11क का इन्दाज दि.12.12.1994खारिज हो ह.ले.24.1.04
- 13) 1411फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.584/न.भू.सी./03दि. 8.12.2003के अन्तर्गत नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनिमय अधिनियम 1976के अन्तर्गत प्रश्नात भूमि गाटा सं.263 श्रीमती पुनिया के नाम है। पूरन और पुनिया दोनो की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति मे
- 14) मे गाटा सं.263मि.जो पुनिया के नाम था का श्रीमती पुनिया पत्नी पूरन नि.सोनकपुर मुरादाबाद के जो भी वैध वारिसान हो के नाम दर्ज हो ह.ले.24.1.04
- 15) 1411फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.358/ 23.4.04आदेश हुआ कि खाता सं.370के गाटा सं.336 मि /0.24-1/2एकड़ L.R.2.45के पूर्ण भग से अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.कोठीवाल नगर मुरादाबाद का नाम खारिज होकर श्रीमती ऊ षा वर्मा पत्नी घनश्याम वर्मा नि.बाजार कलों मंडावर बिजनौर
- 16) व श्रीमती कमला श्रीवास्तव पत्नी स्व0राजबहादुर नि. लार्डनपर मुरादाबाद का नाम बजरिए बेनामा दि.12.4.2003 के आधार पर दर्ज हो ह.ले.27.4.04
- 17) 1408फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.220B/न.भू.सी/2001दि. 2.3.01के अन्तर्गत वाद सं.1264/2699सरकार बनाम नरायणदास मे धारा 45के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.8.7.94मे गाटा सं. 1.336मि/ 1983.03वर्ग मी.गाटा सं. 1.263मि/2116.20वर्ग मी.
- 18) भूमि पर राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित भू धारक नरायण दास पुत्र बाबू नि.सोनकपुर या उसके वैध वारिसान का नाम राजस्व अभिलेखों मे दर्ज हो ह.ले. 11.5.2001
- 19) 1409फ आदेशानुसार रा.नि.पाकवडा द्वारा प.क.11क दि.10.4.2002को आदेश हुआ कि खाता सं. 370से मूलक नरायनदास के स्थान पर हरप्रसाद,मोहनसिंह राजकुमार पुत्रगण नरायनदास व श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी स्व नरायनदास नि.ग्राम के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह.ले. 10.4.2002
- 20) 1414फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.6688/134/601/06आदेश दिनांक 31.1.07 को आदेश हुआकि खातासं0370गाटासं0303मि रकवा 0.221व गाटासं0230मि 0.117पर अतिरिक्त घोषित भूमि के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के आदेश दिनांक 8-5-06व20-1-07के आधार पर मूलकाशतकार
- 21) ग.गौराम उर्फ गजराम व कु व. रैसेन पुत्र खिमी नि0सोनकपुर का नाम तथा बादहू विक्र य पत्र ग.गौराम आदि बहक अमृतलाल आदि एव0 विक्र य पत्र अमृत लाल आदि बहक के चन तलवार के आधार पर ग्राम सोनकपुर स्थित आराजी खातासं0370गाटासं0303मि/0.221 है0 मे से 0.202भाग से ग.गौराम उर्फ गजराम
- 22) व कु वर सेन पुत्र खिमी नि0सोनकपुर का नाम खारिज क रके श्रीमती के चन तलवार पत्नी सी0एल0तलवार नि0102कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप मे दर्ज हो ह0आर0के 0दिनांक 31-1-07

- 23) 1400क आदेशानुसार नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद के पत्रांक सं. 1.3213/न.भू.सी./2001।दि.14.5.01 सं. 1। तब पत्रांक सं. 1089013.न.भू.सी./99दि.8.4.99के द्वारा नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियत अधिनियम 1976की धारा -61।के अन्तर्गत भू-धारिका श्रीमती कमला वृह पत्नी साहू चुन्नी लाल नि.सिविल लार्डन मुरादाबाद ग्राम सोनकपुर
- 24) स्थित गाटा सं. 10355के 1.2 भाग की भूमि सक्षम प्राधिकारी के अधिनियम की धारा 10(2)के अन्तर्गत आदेश दि.12.5.98 को भू-धारक के पक्ष में छोड़ दिया है ह.ते.2.7.01
- 25) 1415क आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के पत्रांक सं. 10.235/न.भू.सी./07दि.29.11.07 के अन्तर्गत पूर्व में अमलदारमद की गई भूमि ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं. 1.90मि।4.23.20वर्ग मीटर व ग्राम मऊ स्थित गाटा सं. 1.516मि।144.72वर्ग मी.कुल 2567.92वर्ग मीटर पर राज्य सरकार के स्थान पर श्री वलवीर
- 26) सरन भटनागर पुत्र स्व.रामचन्द्र नि.हरथला मुरादाबाद के पक्ष में दर्ज हो तथा उपरोक्त के अतिरिक्त श्री रूपकि शोर भटनागरपुत्र रामचन्द्र नि.हरथला मुरादाबाद की सीलिंग वाद सं. 1.1448.5011 में सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार 29.10.80 के द्वारा अतिरिक्त घोषित भूमि ग्राम मऊ स्थित गाटा सं. 1.516रकवा।144.72वर्ग मी।ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं. 1.90मि रकवा।1423.20वर्ग मी।कुल 2567.92वर्ग मी।भूमि पर तहसीलदारमुरादाबाद द्वारा दिनांक 15.1.90को राज्य सरकार में पक्ष में कब्जा लिया गया 1 अतः उक्त भूमि राज्यसरकार के पक्ष में दर्ज हो हो आर.के 010.3.08
- 28) 1416क आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.23.10.08के अनुपालन में आदेश न्यायालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद वाद सं.305/944धारा 45नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976 आदेश दि.10.4.92के अन्तर्गत सरकार
- 29) वनाम जेट्टे मे गाटा सं.866वर्ग मी।नगर पालिका की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर स्थित है की क्रमश.4856-40वर्ग मी।व.647.52वर्ग मी।अर्थात् कुल 5503.92वर्ग मी।भूमि उसकी कुल 8393.52 वर्ग मी।में से कम की जाती है जिसे कम करने पर उसके पास कुल भवन सहित 2889.60वर्ग मी।भूमि होती है
- 30) अतः भू-धारक की 889.60वर्ग मी।भूमि अतिरिक्त घोषित की जाती है जो गाटा सं.650से अभ्यर्षित की जायगी तदनुसार आदेश दि.8.8.77संशोधित समझा जाय ता हो आर.के 0दि.3.11.08
- 31) 1416क आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारीनगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद के पत्रांक।158/न0 भू.सी।0/8दि.30.7.08के अनुपालन में पत्रांक।14/न0 भू.सी।0/03दि.28.5.03के अन्तर्गत सीलिंग वाद सं. 1.1532.5019में दापर अपील में माननीय अपर जिलाजज षष्ठम मुरादाबाद के
- 32) आदेश दि.29.5.95के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त किया गया तथा वाद रिमाण्ड किया गया जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दापर रिट याचिका सं. 1.6729/97माननीय न्यायालय के आदेश दि.15.3.97के द्वारा खारिज की गई तत्पश्चात् निरसन अधिनियम
- 33) 1999प्रभावी हो जान के कारण सं. 1.65 प्राधिकारी के आदेश दि.4.3.2003के द्वारा उक्त वाद निरसित किया गया तथा वाद पत्रावली निक्षेप की गई तदनुसार वाद में कब्जा ली गई निम्न लिखित भूमि पर भू-धारक के पक्ष में कब्जा छोड़ने तथा राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के स्थान
- 34) पर भू-धारक श्री वालकिशोर भटनागर पुत्र स्व.श्री रामचन्द्र नि.हरथला के नाम दर्ज होग्राम का नाम/गाटा सं. 1.1-ग्राम मऊ गाटा सं. 1.516मि रकवा 1144.72वर्ग मी।व.2-ग्राम सोनकपुर गाटा सं. 1.90मि रकवा।1443.83वर्ग मी।कुल 2किता रकवा 2588.55वर्ग
- 35) मी0 हो आर.के 07.3.09
- 36) 1416क आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.1856/28.5.09को आदेश हुआ कि ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद के खाता सं.385 के खसरा न.866 रकबा 0.486है।तगानी वमुजिब खतौनी के पूर्ण भाग में से 0.80एकड़ पर से विक्रेता व.न्द्रसेन पुत्र स्व.जेठू निवासी मिलक भोला सिंह तह0
- 37) व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज होकर केला शेर सिंह पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सतारपुर माफी तह0 अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम सहखातेदार के साथ सं.0 भू.के रूप में द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 4.7.92के आधार पर दर्ज कागजात हो तत्पश्चात् मृतक शेर सिंह पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सतारपुर माफी तह0.
- 38) अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम खारिज होकर उसके स्थान पर श्रीमती कान्ति देवी पत्नी राममनोहरलाल निवासी हाल खुशहालपुर तह0 व जिला मुरादाबाद का नाम द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 2.1.95सं.0 भू.के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित हो हो आर.के. 5.6.09
- 39) 1417क आदेशानुसार श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद विविध निगरानी सं.शून्य/2007-08धारा 2।19एल0आर0एक्ट आदेश दिनांक 29.7.2008के अन्तर्गत उमा शंकर शर्मा आदि वनाम भानुप्रकाश आदि में खाता सं.195पर प्रतिपक्षी गण दिनांक 1.9.2008के लिए नोटिस जारी
- 40) किये जाय 1 अवर न्यायालय द्वारा निर्णित पत्रावली अपील सं.7/89/07एवं अपील सं.26/12उमा शंकर शर्मा वनाम भानुप्रकाश आदि तथा तनवीर अहमद आदि वनाम भानुप्रकाश आदि एवं विचारण न्यायालय द्वारा निर्णित पत्रावली वाद सं.353/03भानुप्रकाश वनाम मु.पुनिया तथा वाद सं.97भानुप्रकाश वनाम श्रीमती
- 41) पुनिया तलव की जाय 1 तब तक प्रतिपक्षी सं.1भानुप्रकाश पुत्र ओमप्रकाश नि.दलपतपुर तह0 व जिला मुरादाबाद को वाद ग्रस्त आराजी का किसी प्रकार अन्तरण/विक्रय करने से निषेध किया जाता है 1 हो आर.के 0दि.25.7.09
- 42) 1417क आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.22.9.09के अनुपालन में आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगरभूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 278/न0 भू.सी।0/08दिनांक 3.10.08के अन्तर्गत शासन देश सं.513/उन्वास-152/47यू.सी।0/83दिनांक 6.9.86के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त करते
- 43) हुये नये सिरे में भूमि सीमा के निर्धारण की कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रत्यावर्तित की गई तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.24.12.87द्वारा ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं.879से

- 8943.87व0मी0गाटा सँ 1.873से 654.44व0मी0कु ल 9598.31व0मी0भूमि अतिरिक्त भूमि घोषित की गई । सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.17.2.01के द्वारा निरसन अधिनियम 1999के अनुसार वाद पत्राक पत्रावली निक्षेप की गई तथा इस कार्यालय के पत्रांक 217 वी दिनांक 2.3.01के द्वारा ग्राम सोनकपुर गाटा सँ 1.879/8943.87व0मी0गाटा सं.873.654.44व0मी0कु ल 9598.31व0मी0भूमि से राज्य सरकार के स्थान पर भूधरक श्री वफातीका नाम आंकित करने हेतु लिखा गया
- 45) जबकि उक्त वाद में गाटा सँ 1.879/8947.87 व0मी0व गाटा सं.873रकवा 1059.14व0मी0का कब्जा दिनांक 22.3.79को तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा लिया गया । अतः इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पत्रांक 217वीं दिनांक 2.3.01के प्रस्तर-3 में अंकित ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सँ 1.873/654.44व0मी0के
- 46) स्थान पर 1059.14व0मी0सही पढा जाय । ह0आर0के 023.9.09
- 47) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 100/न0भू0सी0/010 दिनांक 30.4.10के अन्तगत वाद सं.2759/101सरकार वनाम हिन्द निहोन प्रोटीन प्रा0लि0मे धारा 10(3)के उपरान्त धारा 10(5)की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के अन्तगत सक्षम
- 48) प्राधिकारी के आदेश दि.20.2.08के द्वारा वाद पत्रावली यथा स्थिति निक्षेप की गई है अतः गाटा सं.538/113.16 व0मी0गाटा सं.541/654.45व0मी0भूमि पर हिन्द निहोन प्रोटीन प्रा0लि0मुरादाबाद का नाम दर्ज हो ह0आर0के05.5.10
- 49) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरा0 वाद सँ 1.455/28.5.10को आदेश हुआ कि खाता सँ 1.385 के गाटा सँ 1.866/0.486 है. लगान वमुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्र ता चन्द्र सैन पुत्र स्व0जेठ नि0 ग्राम भोला सिंह की मिलक सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर के ता
- 50) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये वैनामा दर्ज हो ह0आर0के016.6.10
- 51) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरा0वाद सँ 1.117/28.5.10को आदेश हुआ कि खाता सँ 1.385 के गाटा सँ 1.866/0.486 है. लगान वमुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्र ता श्रीमती कान्ती देवी पत्नी राम मनोहर लाल नि0ग्राम खुशहालपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर के ता
- 52) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये वैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 27.7.10
- 53) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद सँ 1.77/10धारा 143ज0वि0अधि0आदेश दि.18.6.10के अन्तगत में हिन्द निहोन प्रोटीन्स वनाम सरकार में तहसील आख्या / सरस्तिके आधार पर खाता सँ 1.30गाटा सँ 1.566/0.028 का 1/2भाग एंव खाता सँ 1.385 के गाटा सँ 1.538भि0.113
- 54) .541/0.065हे.को अकृ पिक घोषित कि या जाता है तथा लगान समाप्त कि या जाता है ह0आर0के 018.8.10
- 55) 1420फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद, वाद सं.31/820/454/2011-12धारा14 L.R.A.C.T ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद खाता सं.371 गाटा सं.263/2043.20 वर्ग मी0 भानुप्रकाश वनाम . मु0पुनिया में दिनांक 19.9.12 के अन्तर्गत प्रश्नगत वाद में वसीयत अपंजीकृत होने के फलस्वरूप धारा 169
- 56) में हुए संशोधन के अनुसार मान्य नहीं है तथा खसरा सं. 263 में मौके पर आबादी / गैर कृषि भूमि होने के कारण इस भूमि पर उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0के प्रावधान लागू नहीं है. बल्कि व्याक्तिगत विधि लागू है. विरासत का वाद सुनने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है. उक्त विवेचना के
- 57) आधार पर नामान्तरण प्रसूचना निरस्त की जाती है. ह0आर.के...1.4.2013
- 58) 1422फ आदेशानुसार श्रीमान नगर भूमि सीमा रोपण . सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 730/न0भू0सी0/ रिट0/2014 दिनांक 18नवम्बर 2014 के क्र म में . मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या 35789/ 2011 ख खमानी वनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0) में पारित आदेश दिनांक 07.07.2014 व दिनांक
- 59) 31.10.2014 के अनुपालन में ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की गाटा सं.669 रकबा 2549.61वर्ग मी0 भूमि पर जो अतिरिक्त सीलिंग भूमि के खाते में अंकित है. जिसे निरस्त कर भूधरक खमानी पुत्र तुलाराम का नाम इस शर्त के साथ अंकित कि या जाये, शासनदेश संख्या 319जी0कदिनांक
- 60) 14.01.1980 में धारा 20 के अन्तर्गत उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों को रिमार्क कॉलम में अंकन कि या जाये कि 1- भूमि का उपयोग केवल कृषि के लिये कि या जायेगा. 2- भूमि प्लाटिंग कर विक्रय अन्तरण नहीं कि या जायेगा. परन्तु कृषक प्रयोजन हेतु विक्रय अन्तरण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से
- 61) कि या जायेगा. 3- कृषक प्रयोजन हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये बन्धक अन्तरण अधिनियम की धारा -19(एक) (तीन ) में उल्लिखित कि सी बैंक, वित्तीय संस्था अथवा, केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा स्थापित विनिर्दिष्ट कि सी वित्त निगम या वित्तीय संस्थान के पक्ष में कि या जा सके गा. ह0आर.के...2.12.2014
- 62) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक. मुरादाबाद द्वारा वादसं0T2151354014307 आदेश दि.24.8.15 को आदेश हुआ कि खातासं.371 के गाटासं.263/1 रकबा 0.2020है. अर्थात् 2020.00 वर्ग मीटर लगान वमुजिव खतौनी पर आंकित तृतीका श्रीमती पुनिया पत्नी पूरन के स्थान पर भानुप्रकाश पुत्र
- 63) स्व0ओमप्रकाश नि0 ग्राम दलपतपुर का नाम बतौर वारिस सं0भू0के रूप में अंकित होे । राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित पत्रांक011 ख आदेश दि.12.2.1994 निरस्त कि या जाता है । ह0आर.के 031.8.15
- 64) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर. मुरादाबाद द्वारा वादसं0T20151354014413 धारा 210एल0आर0एक्ट आदेश दि.28.08.2015 के अन्तर्गत निरीशचन्द्र आदि वनाम भानुप्रताप शर्मा में खतौनी वर्ष 1420-25 के खातासं.371के खसरानं. 263/1 रकवई 0.2020है. अर्थात् 2020.00वर्ग

- 65) मीटर लगान बमलिव स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद अवर न्यायालय का आदेश दि. 24.08.2015 अभिग्र आदेशो तक स्थगित किया जाता है। 1 ह०आर के 07.9.15
- 66) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद द्वारा वादसं020141354015842 आदेश दि. 15.09.15 को आदेश हुआ कि खातासं.371 के खसरासं.873मि रकबा 0.040हे. लगान बमलिव खाली के बकदर ग्राम मे से 0.0100हे. पर से विके वा कफाली पुत्र इतवाशी नि० ग्राम मिलक भोला सिंह
- 67) सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज करके उनके स्थान पर कें ता श्रीमती श्रुति श्रीवास्तव पत्नी शैलेन्द्र सवसेना निवासी डी-73, आवातिका कालोनी, शहर व तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम सहसातेदर के रूप मे बजारे मे बनामा दि.20.02.14 के आधार पर सं०२१०के रूप मे दर्ज हो 1 ह०आर के 0
- 68) 30.09.15
- 69) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद के आदेश दि.08.06.16के अनुपालन मे ग्राम सोनकपुर की खातासं.371 पर श्रुतिवश न्यायालय तहसीलदार सदर, मुरादाबाद वादसं. 120141354015892 आदेश दि.15.09.15 दर्ज हो गया है 1 की श्रुति की श्रुति करते हुए उक्त
- 70) आदेश खाता संख्या 252 पर ऑकि तक या जाता है 1 ह०आर के 08.6.16
- 71) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद, पत्रांक 20660/न०भू०सी०/ 2016 दिनांक 30.05.16 के अन्तर्गत महबूब पुत्र श्री फै जवबख्श निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं-316/1589 मे धारा-45 के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के
- 72) आदेश दिनांक 28.02.1992के द्वारा ग्राम सोनकपुर के गाटा सं.620 से 4168.41वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296 से 8255.88 वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गयी है, जिसके सम्बन्ध मे धारा-10(5) का नोटिस दिनांक 09.11.1993 को जारी कि या गया
- 73) तथा राजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के पक्ष मे, अमलदरामद कि या गया, लेकिन प्रश्नगत वाद मे धारा -10 (5)के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम -1999के परिपेक्ष मे पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28.5.16 के द्वारा उक्त
- 74) वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है, ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं.620 से 4168.41 वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्गमीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296से 8255.88वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक
- 75) श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अकि त करें, ह०आर के ...17.6.2016
- 76) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 20660/न०भू०सी०/2016 दिनांक 30-05-16 के अन्तर्गत श्री महबूब पुत्र फैजवख्श निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं 315/1589 मेधारा 45के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-02-1992 के द्वारा ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा संख्या 296 से 8255-88वर्ग मीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गई है जिसके सम्बन्ध मे धारा 10(5)का नोटिस दिनांक 09-11-93 को जारी किया गया तथा राजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के पक्ष मे अमलदरामद किया गया लेकिन प्रश्नगत वाद मे धारा 10(5) के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के परिपेक्ष मे पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-16 के द्वारा उक्त वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर की गाटा संख्या 296 से 8255-88 वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित हो हआरके23-07-16
- 77) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के पत्रांक 2190/न०भू०सी०/अमलदरामद/2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन मे वाद सं० 436/5216 सरकार बनाम छोटेलाल में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं० 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर भूधारक छोटेलाल अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम दर्ज हो ह०आरके0 30/07/16
- 78) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न०भू०सी०/अमलदरामद/ 2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन मे वाद सं० 1310/5214 सरकार बनाम बालकिशन में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं० 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर बालकिशन अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम अंकित हो, ह०आरके0 30/07/16
- 79) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 12.8.16के अनुपालन मे कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद पत्रांक सं० 2219/न०भू०सी०/2016 दिनांक 12अगस्त 2016के अन्तर्गत अख्तर आदि के द्वारा इस कार्यालय मे प्रस्तुत पार्थना पत्र के साथ ग्राम सोनकपुर के गाटा सं०798मि० की उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1420फ से 1425फ प्रस्तुत की है जिसमे 0.3080हे०अर्थात 3080वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त घोषित दर्ज है सीलिंग वाद सं० 200/600सरकार बनाम अख्तर सीलिंग वाद सं० 173/599 सरकार बनाम मटरू एवं सीलिंग वाद सं० 190/602सरकार बनाम मुख्तार में जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश 4.8.16के द्वारा भूधारक अख्तर आदि की ग्राम सोनकपुर के गाटा सं० 798 की 4564.25वर्गमी०भूमि सीलिंग से मुक्त है अतः ग्राम सोनकपुर के गाटा सं० 798 की 3080वर्गमी०भूमि जिसपर अतिरिक्त घोषित दर्ज हो 1 के स्थान पर श्री अख्तर, मटरू एवं श्री मुख्तार अथवा उनके वैध वारिसो के नाम दर्ज हो 1 ह०आरके0दि 12.8.16
- 80) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद कम्प्यूटर वाद सं० टी 20151354014413धारा 210एल०आर०एक्ट ग्राम सोनकपुर गिरीश चन्द्र बनाम भानु प्रकाश शर्मा मे आदेश दि 28.9.16के अन्तर्गत वादीगण की अपील की कार्यवाही निरस्त की गई है तथा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 28.8.2015को भी निरस्त किया गया है खतौनी वर्ष 1420फ से 1425फ

क खाता सं० 371 के खसरा नं० 263/1 रकवर्ड 0.2020हे०अर्थात् 2020.00वर्ग मीटर लगान वमूजीब दर्ज हो हे०आर०के०दि 03.10.16

81) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 31-01-17 के अनुपालन मे आदेश श्रीमान अपर आयुक्त प्रशासन मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या टी 2016130092 धारा 219 एल०आर०एक्ट आदेश दिनांक 19-01-17 के अन्तर्गत गिरीश चन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि मे ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर order of lower court shall remain stayed. हआरके०8-03-17

82) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक संख्या 2476/न०भू०सी०/2017 दिनांक 01-03-2017 के अन्तर्गत सीलिंग वाद संख्या 316/1589 सरकार बनाम श्री महबूब आदेश दिनांक 28-05-2016/मा०उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे दाखिल रिट याचिका संख्या 854/2012 श्री महेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र०सरकार मे ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 रकवर्ड 4168-41 व गाटा संख्या 547 रकवर्ड 629-17 पर सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-2016 के अनुपालन मे उक्त भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम दर्ज हो हआरके०8-03-17

83) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 21-03-17 के अनुपालन मे जिलाधिकारी मुरादाबादके आदेश दिनांक 15-03-17 द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 17-06-16 व 04-08-16 अपारत किये गये हो तथा पूर्व जारी कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2190/न०भू०सी०/अमलदरामद/2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का छोटेला अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम राजस्व अभिलेखो मे अमलदरामद करने तथा कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न०भू०सी०/अमलदरामद/2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का बालकिशन अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम एवं कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 2219/न०भू०सी०/2016 दिनांक 12-10-16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 798 की 3080 वर्ग मीटर जिस पर अतिरिक्त घोषित दर्ज हो के स्थान पर भूधारक श्री अख्तर, गटरू एवं श्री मुख्तार अथवा उनके वैध वारिसानो के नाम राजस्व अभिलेखो मे अमलदरामद किये जाने सबनधी आदेश पारित किये गये हो दिनांक 12-08-16 को वापस ले लिया गया हो तदननुसार उक्त पत्रो के आधार पर भूधारकों के पक्ष मे किये गये अमलदरामद के स्थान पर राज्य सरकार का नाम अंकित किया जाता हो हआरके०24-3-17

84) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 02-02-18 के अनुपालन मे - आदेशानुसार न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद सं टी201813540100557 धारा 144 राजस्व संहिता 2006 आदेश दिनांक 30-01-2018 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम भानु प्रकाश शर्मा आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर वाद के निरस्तारण तक मौके पर यथा स्थिति बनाये रखे हआरके०19-02-18

85) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान एसा०बी०तिवारी, अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या-सी० 2017130092 धारा 219 एल०आर०एक्ट आदेश दिनांक 27/07/2017 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता सं० 371 के गाटा सं० 263/1 रकबा 0.202हे० अर्थात् 2020.00 वर्ग मी० पर परीक्षण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 24/08/15 एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 28/09/2016 में कि सी हस्तक्षेप का औचित्य न पाते हुए निगरानीकर्ता की निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है, इस न्यायालय का स्थगन आदेश यदि कोई हो भी निरस्त किया जाता है ह०आर०के० ह०आर०के० 19/05/2018

86) 1428फ आदेशानुसार श्रीमान कार्यालय रा०नि० दुष्यन्त कुमार क्षेत्र हरथला आवेदन संख्या 20201313500719001441 राजस्व संहिता की धारा 33(2) के अन्तर्गत उत्तराधिकार आदेश दिनांक 19.11.2020 को आदेश हुआकि खाता सं० 377 पर मृतक खमानी पुत्र तुलाराम के स्थान पर हरपाल सिंह ज्ञानपाल सिंह पुत्रगण खमानी सिंह नि०भोगपुर मिठौनी के नाम वतीर वारिस दर्ज हो ह०आर०के०दि 28.12.2020

Data Digitally Signed by: R.VI SINGH R.VI(DRAC:ISTRABR K ANOONCO)

दिनांक समयस्थान: 12-02-2026 03:17:48 तहसील: मुरादाबाद

यह संकेत स्वामी स्वदेष्टाभिप्रेत इच्छाशीलकरण तथा धार की भाँ है तथा जला डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता: MUSHAR MINA(DRAC:MR तहसील: मुरादाबाद

मुद्रित दिनांक एवं समय: 12-02-2026 03:17:48

Not Applicable for Online Forms उपरोक्त संकेत स्वामी का वैधिकेशन  
https://apbhubd.kh.gov.in/Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।